

प्रभार ग्रहण प्रतिवेदन

अधोहस्ताक्षरी मैं, गीता सिंह, भा०प्र०से० (2013), अपर सचिव, पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग, बिहार, पटना दिनांक 28.04.2025 से 15.05.2025 तक कुल 18 दिनों का उपार्जित अवकाश का उपभोग करने के पश्चात् आज दिनांक 16.05.2025 के पूर्वाह्न में अपने पद पर स्वतः प्रभार ग्रहण करती हूँ।

सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना का अधिसूचना सं०-1/अ०-1017/2025-सा०प्र०-5403 दिनांक 25.03.2025 द्रष्टव्य।

(गीता सिंह)
भारगृही पदाधिकारी

लेखा परीक्षा कार्यालय के उपभोग के लिए

लेखा परीक्षा

रजिस्टर

में अंकित

सेवा इतिहास

वेतन पर्चा निर्गत

बिहार सरकार**पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग**

ज्ञापांक- 03/हच०(1)04/25 - 2163

पटना, दिनांक 16/05/2025

प्रतिलिपि:- मुख्य सचिव, बिहार/विकास आयुक्त, बिहार/मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, बिहार/मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव, बिहार/सचिव, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, भारत सरकार, नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली/अपर मुख्य सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार/योजना एवं विकास विभाग/अपर मुख्य सचिव, पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग, बिहार, पटना/स्थानिक आयुक्त, बिहार भवन, कौटिल्य मार्ग, चाणक्यपुरी, नई दिल्ली/प्रधान महालेखाकार (ले० एवं ह०), बिहार/राज्यपाल, बिहार के प्रधान सचिव, पटना/वित्त (वै०दा०नि०को०) विभाग, पटना/कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, विकास भवन एवं सिंचाई भवन, पटना/सभी जिला पदाधिकारी/ निदेशक, पशुपालन/निदेशक, मत्स्य/निदेशक, गव्य/प्रबंध निदेशक, कम्पेड, बिहार, पटना/सभी क्षेत्रीय निदेशक, पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग/सभी जिला पशुपालन पदाधिकारी/पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग के मुख्यालय स्थित सभी पदाधिकारी/आई०टी० मैनेजर, पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग, बिहार, पटना (विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(सुमंजय कुमार)
सरकार के अवर सचिव

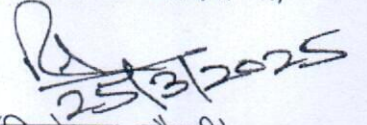
बिहार सरकार
सामान्य प्रशासन विभाग
अधिसूचना

पटना-15, दिनांक: 25.03.25

संख्या-1/अ0-1017/2025-सा0प्र0-5403/श्रीमती गीता सिंह, भा.प्र.से. (बीएच : 2013), अपर सचिव, पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग, बिहार, पटना को अखिल भारतीय सेवाएं (छुट्टी) नियमावली-1955 के नियम-10,11 एवं 20 के तहत वैयक्तिक व्यय पर संयुक्त राज्य अमेरिका की निजी विदेश यात्रा हेतु दिनांक 28.04.2025 से 15.05.2025 तक कुल 18 (अठारह) दिनों की उपार्जित छुट्टी की एक्स-इंडिया लीव के रूप में उपभोग की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2. श्रीमती गीता सिंह की आलोच्य अनुपस्थिति से आच्छादित अवधि में उनके द्वारा धारित पद/दायित्वों के लिए प्रभार की व्यवस्था संबंधित विभाग (पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग) द्वारा आंतरिक रूप से की जाएगी।

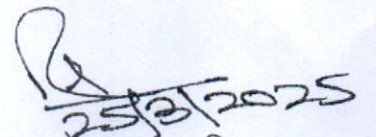
बिहार राज्यपाल के आदेश से,


(सिद्धेश्वर चौधरी)

सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक:-1/अ0-1017/2025-सा0प्र0-5403/पटना-15, दिनांक: 25.03.25

प्रतिलिपि:- उप सचिव, ई0 गजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार, पटना को राजपत्र में प्रकाशित करने हेतु प्रेषित/ महालेखाकार(ले0 एवं ह0), बिहार वीरचन्द पटेल पथ, पटना/मुख्य मंत्री के प्रधान सचिव, मुख्य मंत्री सचिवालय, बिहार, पटना/राज्यपाल के प्रधान सचिव, राज्यपाल सचिवालय, बिहार, पटना/संबंधित विभाग/संबंधित पदाधिकारी/मुख्य सचिव के प्रधान आप्त सचिव, बिहार, पटना/सामान्य प्रशासन विभाग (प्रशाखा-1 एवं 6) को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


सरकार के अवर सचिव।